भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4336
19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: बिहार में सिंचाई संबंधी योजनाएँ

4336. श्रीमती लवली आनंदः
श्री दिनेश चंद्र यादवः
श्री गिरिधारी यादवः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों के लिए सिंचाई से संबंधित योजनाओं और अन्य लाभकारी योजनाओं को बिहार के लिए विशेष पैकेज योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सभी योजनाओं पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): बिहार के लिए विशेष पैकेज 2015 के अंतर्गत किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं को शामिल किया गया है। कृषि मशीनी उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत, कृषि मशीनी को बढ़ावा देने के लिए, 225.57 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह धनराशि 39,535 कृषि मशीनरी इकाइयों के वितरण और 1879 कस्टम हायरिंग केंद्रों या कृषि मशीनरी बैंकों की स्थापना के लिए थी।

सरकारी बीज बहु गुणन फार्मों में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बीज परियोजना के अंतर्गत, बीज भंडारण गोदामों और थ्रेसिंग/शुष्कीकरण स्थल का प्रावधान किया गया था।

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत, दुर्गावती और पुनपुन बैराज नामक 02 परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इनके लिए 196.09 करोड़ रुपये की शेष पात्र केंद्रीय सहायता में से 110.24 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

*****